

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 26 जून, 2021 / 5 आषाढ़, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 19 जून, 2021

संख्या राजस्व—घ/(एफ) 4—3/2016—(चम्बा).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उप—तहसील तेलका सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में तहसील सलूनी के प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 5 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप—तहसील तेलका, जिसका मुख्यालय तेलका में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :—

उप—तहसील का नाम	उप—मण्डल का नाम	तहसील का नाम	जिला	मुख्यालय	नई उप—तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार
					वृत्त
1	2	3	4	5	6
तेलका	सलूनी	सलूनी	चम्बा	तेलका	 सालवा लिग्गा द्रेकड़ी सेरी बाढ़का

उप-तहसील तेलका के सृजन के पश्चात उप-तहसील भलेई की संरचना निम्न प्रकार से होगी।

उप–तहसील का नाम	उप–मण्डल का नाम	जिला	पटवार वृत्तों के नाम
1	2	3	4
भलेई	सलूनी	चम्बा	 भलेई डूघार बान्धल सिमनी बग्गी भनाड़ मट्टी ग्वालू

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F)4-3/2016-CBA, dated 19th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE-D DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 19th June, 2021

No. Rev-D(F) 4-3/2016-CBA.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a Sub-Tehsil Telka in District Chamba, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of nearby

villages and also to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Telka, with its headquarter at Telka, under administrative control of Tehsil Salooni in District Chamba, Himachal Pradesh, consisting of 5 Patwar Circles shown in column No. 6 below, with immediate effect:—

Name of the	Name of Sub-	Name of	District	Head quarter	Patwar Circles to
Sub-Tehsil	Divison	Tehsil			be included in
					new Sub-Tehsil
1	2	3	4	5	6
Telka	Salooni	Salooni	Chamba	Telka	1. Salwa
					2. Ligga
					3. Drekdi
					4. Seri
					5. Badka

The Compostion of Sub-Tehsil Bhalei after creation of Sub-Tehsil Telka will be as under:—

Name of the Sub- Tehsil	Name of Sub-Division	District	Name of Patwar Circles
1	2	3	4
Bhalei	Salooni	Chamba	1. Bhalei 2. Dhughar 3. Bangal 4. Simni 5. Baggi 6. Bhanad 7. Matti 8. Gwalu

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary-cum-FC- (Revenue).

राजस्व विभाग (घ–अनुभाग)

आदेश

शिमला-02, 22 जून, 2021

संख्या राजस्व—घ—(एफ) 4—10/2019.——हिमाचल प्रदेश भू—अभिलेख नियमावली, 1992 के अध्याय—3, के पैरा 3.21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के. के. पंत, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, तहसील रक्कड़ के अन्तर्गत पटवार वृत खरोटी से महाल ब्रहमनगर को